28. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land ds Officer in the manner laid down in section 111.इसलिये प्रार्थीया को अपनी आराजी की हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।-अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या 95 भूमि खसरा नम्बर 192/37 रकबा 0.3667 हैक्टेयर ग्राम रलावता प.ह. सिन्दोली तहसील बस्सी जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी रकबा एवं राजस्व नक्शानुसार कायम करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौंके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें।

तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ी नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर
सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी बस्सी जयपुर (राज.)